

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1927 / 2016 / बांसवाड़ा.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन-II, बांसवाड़ा

.....अपीलार्थी.

बनाम
मैसर्स ओटिस एलिवेटर कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड,
471/5, राजापार्क, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषक
श्री डी.कुमार, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04 / 05 / 2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 7/अपील्स-I/आरवेट/ए/जयपुर/2015-16 में पारित किये गये आदेश दिनांक 22.04.2016 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन-बांसवाड़ा, (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) के वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 12.02.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के परिवहनित माल की जांच दिनांक 20.01.2015 को की गई। परिवहनित माल के संबंध में माल प्रभारी द्वारा बिल्टी संख्या 201093 दिनांक 13.01.2015 तथा वैट कम डिलीवरी चालान संख्या 70815000147RL दिनांक 13.01.2015 एवं वैट 47ए संख्या E47A130115932760 दिनांक 13.01.2015 प्रस्तुत किये गये, जिसमें माल संबंधी समस्त विवरण दर्ज थे। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों को जांच अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम 2003 की धारा 76(2) के तहत इस आधार पर उल्लंघन माना कि घोषणा पत्र वैट-47ए एवं बिल-बिल्टी में माल प्रेषिति के नाम-पते में अन्तर है तथा प्रेषक एवं प्रेषिति के बीच जो माल विक्रय करने का कॉन्ट्रैक्ट है उस अनुसार यह माल अन्तर्राज्यीय परिवहन न

 लगातार.....2

होकर ब्रांच ट्रांसफर माना जाये एवं ब्रांच ट्रांसफर मानने की स्थिति में घोषणा पत्र वैट-47ए की अनिवार्यता मानी गई एवं घोषणा पत्र में कुछ कमियां होने के कारण उसे अस्वीकार किया गया। आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया कि परिवहन के दौरान ब्रांच ट्रांसफर के स्थान पर अन्तर्राज्यीय विक्रय बताये जाने का कृत्य करवेचना का अपराध है। अतः अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रुपये 2,09,958/- एवं वैट रुपये 97,980/- का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.4.2016 द्वारा स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश को अविधिक बताते हुये इसे अपास्त किये जाने का निवेदन किया। उन्होंने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने परिवहन के दौरान संव्यवहारों को गलत घोषित करने के तथ्य को समझने में त्रुटि की है। यह भी कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा जारी बिलों में संव्यवहार की अन्तर्राज्यीय घोषणा गलत थी, जबकि वह संव्यवहार ब्रांच ट्रांसफर का था।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेश में कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि परिवहन के दौरान अधिनियम की 76(2) में विहित समस्त दस्तावेज यथा बिल, बिल्टी एवं घोषणा पत्र संलग्न किये हुये थे एवं जांच के समय समस्त दस्तावेज जांच अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये गये थे।

5. दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में अपीलीय अधिकारी के आदेश में यह निर्णय किया गया है कि प्रकरण में माल परिवहन के दौरान अधिनियम की धारा 76(2) के तहत विहित दस्तावेज जांच अधिकारी को प्रस्तुत कर देने से धारा 76(2) को कोई उल्लंघन कारित नहीं हुआ था। अतः धारा 76(6) में शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता। अपीलीय अधिकारी ने आदेश में यह टिप्पणी भी की है कि जांच अधिकारी को परिवहन के दौरान माल के विक्रय संव्यवहार की प्रकृति तय करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।




लगातार.....3

7. अपीलीय अधिकारी ने माननीय राजस्थान टैक्सेशन ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गये न्यायिक निर्णय मैसर्स फिलिप्स हेवी इंजिनियरिंग प्रा० लि० मुंबई बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-चतुर्थ, वृत्त-ए, बीकानेर 25 आर.टी.जे. एस. 27 का हवाला दिया है, जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि परिवहन के दौरान संव्यवहार की प्रकृति का निर्धारण करने का अधिकार केवल नियमित कर निर्धारण अधिकारी के पास है।

8. इस प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड, बिल एवं बिल्टी के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मांगीलाल दोषी पुत्र श्री बाबूलाल दोषी, बाड़मेर से लिफ्ट की सप्लाई मय इंस्टॉलेशन का अनुबंध किया गया है तथा उक्त कार्य संविदा की पूर्ति हेतु ठेकेदार के रूप में ओटिस एलिवेटर द्वारा लिफ्ट पार्ट्स के बिल जारी किये गये थे जिसमें माल के विक्रय पर पूर्ण कर दर से अन्तर्राज्यीय कर संग्रहित किया गया था। अपीलीय अधिकारी के उक्त विवादित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि माल का परिवहन पूर्ण घोषणा के साथ वैध बिल बिल्टी के साथ किया जा रहा था एवं यह संव्यवहार अन्तर्राज्यीय विक्रय के रूप में घोषित किये गये थे ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 76(2) का कोई उल्लंघन कारित नहीं किया गया था।

9. यह उल्लेखनीय है कि राजस्व की ओर से कर बोर्ड में प्रस्तुत अपीलीय आधार में केवल मात्र यह आधार दिया गया है कि संव्यवहार ब्रांच ट्रांसफर का था अतः इसे ब्रांच ट्रांसफर माना जाये। इस बिन्दु पर यह निर्णय किया जाता है कि परिवहन के दौरान उपरोक्त वर्णित माननीय कराधान अधिकरण के निर्णय एवं कर बोर्ड की खण्डपीठ के निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा बनाम ई.सी.ई इण्डस्ट्रीज (2006) 6 VAT Reporter Page 110 के आलोक में उक्त संव्यवहार अन्तर्राज्यीय घोषित होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। इस प्रकरण में इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि धारा 76(2) में विहित दस्तावेज वक्त परिवहन संलग्न किये हुये थे ऐसी स्थिति में धारा 76(2) के उल्लंघन के बिना धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना अविधिक होने से अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य